भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2096**

**02 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न**

**आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वितरित किया गया खाद्यान्न**

**2096. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रवासी कामगारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों को निःशुल्क आवंटित किए गए खाद्यान्न का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को आवंटित किए गए खाद्यान्नों और राज्यों द्वारा वितरित की गई इसकी मात्रा के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क):** भारत सरकार ने आर्थिक उपायों (आत्मनिर्भर भारत) के भाग के रूप में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के तहत कवर नहीं होने वाले प्रवासियों को दो माह (मई और जून, 2020) के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से लगभग 8 लाख टन निःशुल्क खाद्यान्न आवंटित किया था ताकि कोविड-19 की इस अनिश्चित स्थिति के दौरान लगभग 8 करोड़ फंसे हुए प्रवासियों की कठिनाईयों को कम करके उन्हें लाभान्वित किया जा सके और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के राज्य-वार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

.......2/-

**(ख) से (घ):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के भाग के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निगरानी संस्थानों ने आत्मनिर्भर भारत योजना के संबंध में कुछ राज्यों के सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। इन निष्कर्षों से स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राप्त खाद्यान्नों के संबंध में लाभार्थियों ने संतोष व्यक्त किया है।

******

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 02.08.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2096 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।**

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का राज्य-वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र** | **दो माह (मई-जून'20) का आवंटन (टन में)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **गेहूं** | **चावल** | **कुल** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 61 | 61 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0 | 26823 | 26823 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 820 | 820 |
| 4 | असम | 0 | 25153 | 25153 |
| 5 | बिहार | 0 | 86450 | 86450 |
| 6 | चंडीगढ़ | 275 | 0 | 275 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 0 | 20077 | 20077 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 209 | 209 |
| 9 | दमन व दीव | 0 | 76 | 76 |
| 10 | दिल्ली | 5819 | 1455 | 7273 |
| 11 | गोवा | 0 | 532 | 532 |
| 12 | गुजरात | 26778 | 11476 | 38254 |
| 13 | हरियाणा | 12649 | 0 | 12649 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 2864 | 2864 |
| 15 | जम्मू व कश्मीर | 0 | 7241 | 7241 |
| 16 | झारखंड | 0 | 26370 | 26370 |
| 17 | कर्नाटक | 0 | 40193 | 40193 |
| 18 | केरल | 0 | 15480 | 15480 |
| 19 | लद्दाख | 0 | 144 | 144 |
| 20 | लक्षद्वीप | 0 | 22 | 22 |

.......2/-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | मध्य प्रदेश | 54642 | 0 | 54642 |
| 22 | महाराष्ट्र | 0 | 70017 | 70017 |
| 23 | मणिपुर | 0 | 2457 | 2457 |
| 24 | मेघालय | 0 | 2146 | 2146 |
| 25 | मिज़ोरम | 0 | 668 | 668 |
| 26 | नागालैंड | 0 | 1405 | 1405 |
| 27 | ओडिशा | 0 | 32360 | 32360 |
| 28 | पुड्डुचेरी | 0 | 628 | 628 |
| 29 | पंजाब | 14145 | 0 | 14145 |
| 30 | राजस्थान | 44662 | 0 | 44662 |
| 31 | सिक्किम | 0 | 379 | 379 |
| 32 | तमिलनाडु | 0 | 35734 | 35734 |
| 33 | तेलंगाना | 0 | 19162 | 19162 |
| 34 | त्रिपुरा | 0 | 2483 | 2483 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 85220 | 56813 | 142033 |
| 36 | उत्तराखंड | 0 | 6196 | 6196 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 0 | 60184 | 60184 |
| | **कुल** | **244189** | **556076** | **800265** |

******